अनुदान संख्या 98 – लक्षद्वीप
GRANT No. 98–LAKSHADWEEP

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	321,98,00		354,75,00	349,84,80	–4,90,20
पूरक	Supplementary	32,77,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,38,51
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			165,48,00	162,97,28	–2,50,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (490.20 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 3277.00 लाख रु. पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.490.20 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grant of Rs.3277.00 lakhs obtained in March, 2008 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
क - गृह मंत्रालय	**A – Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	1131.00	1097.92	1145.53	+47.61
पू.	S.	32.00			
पु.	R.	–65.08			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
ख - कृषि मंत्रालय	**B – Ministry of Agriculture**				
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"				
मछली पालन	Fisheries				
मू.	O.	2428.00			
पू.	S.	78.00	2256.84	2250.04	–6.80
पु.	R.	-249.16			
घ - विद्युत मंत्रालय	**D – Ministry of Power**				
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
बिजली	Power				
मू.	O.	4200.00			
पू.	S.	991.00	5232.96	5255.34	+22.38
पु.	R.	41.96			
ङ - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**E- Ministry of Food Processing Industries**				
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food Storage and Warehousing				
मू.	O.	595.00			
पू.	S.	300.00	913.00	700.91	–212.09
पु.	R.	18.00			
छ - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**G - Ministry of Health and Family Welfare**				
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	799.00			
पू.	S.	30.00	804.79	809.43	+4.64
पु.	R.	–24.21			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
झ - माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग	**I - Department of Secondary Education and Higher Education**				
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	2817.00			
पू.	S.	377.00	3157.68	3242.44	+84.76
पु.	R.	–36.32			
ध - जहाजरानी मंत्रालय	**S–Ministry of Shipping**				
मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन और प्रकाश स्तंभ	Major Head "3051" Ports and Light Houses				
मू.	O.	1550.00			
पू.	S.	20.00	1711.46	1666.89	–44.57
पु.	R.	141.46			
प - पर्यटन मंत्रालय	**U–Ministry of Tourism**				
मुख्य शीर्ष "3452" पर्यटन	Major Head "3452" Tourism				
मू.	O.	302.00	299.60	283.03	–16.57
पु.	R.	–2.40			
फ - शहरी विकास मंत्रालय	**V – Ministry of Urban Development**				
मुख्य शीर्ष "2059" लोक निर्माण कार्य	Major Head "2059" Public Works				
मू.	O.	1458.00			
पू.	S.	258.00	1802.79	1804.56	+1.77
पु.	R.	86.79			
मुख्य शीर्ष "2205" कला और संस्कृति	Major Head "2205" Arts and Culture				
मू.	O.	36.00	170.66	173.74	+3.08
पु.	R.	134.66			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "2215" जल पूर्ति और सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation					
मू.	O.	162.00				
पू.	S.	8.00		146.94	152.48	+5.54
पु.	R.	–23.06				
म-जल संसाधन मंत्रालय	**Y - Ministry of Water Resources**					
मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्राण एवं जल निकास	Major Head "2711" Flood Control and Drainage					
मू.	O.	603.00		465.34	471.68	+6.34
पु.	R.	–137.66				
य - नागर विमानन मंत्रालय	**Z - Ministry of Civil Aviation**					
मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation					
मू.	O.	1376.00		1501.84	1514.12	+12.28
पु.	R.	125.84				

(I) 301.21 लाख रु. का प्रावधान तेईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 235.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "3452" - "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक परिवहन सेवा - अन्य संविदागत सेवाएं" - 215.00 लाख रु. क्रमिक कोड की अनुपलब्धता की वजह से शीर्ष 3452.80.800.07 में समग्र व्यय को दर्ज किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2059" - "सामान्य - अन्य व्यय - ई-अभिशासन के लिए आधारभूत ढ़ांचा" - 10.00 लाख रु. (7.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.301.21 lakhs remained wholly unutilised under twenty three heads; of these Rs.235.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "3452" – "Tourist Infrastructure - Tourist Transport Service – Other Contractual Services" – Rs.215.00 lakhs – due to booking of entire expenditure in the head 3452.80.800.07 owing to unavailability of serial code.

(B) Major Head "2059" – "General – Other Expenditure – Infrastructure for E-Governance" – Rs.10.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.7.00 lakhs) – due to non-finalisation of tenders.

(गा) मुख्य शीर्ष "2215" - "जल पूर्ति - अन्य व्यय - ई-अभिशासन के लिए आधारभूत ढांचा" - 10.00 लाख रु. (8.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) सभी द्वीपों में सभी उप-खंड कार्यालयों के लिए कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "2215" – "Water Supply – Other Expenditure – Infrastructure for E-Governance" – Rs.10.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.8.00 lakhs) – due to non-procurement of computers for all the sub-division offices in all islands.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" - "जिला पुलिस - लक्षद्वीप पुलिस" - 605.24 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 612.24 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 49.61 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने और वाहनों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(A) Major Head "2055" – "District Police – Lakshadweep Police" - the original provision of Rs.605.24 lakhs was augmented to Rs.612.24 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.49.61 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts and non-procurement of vehicles.

(खा) मुख्य शीर्ष "2405" - "समुद्री मत्स्य उद्योग - गहरा सागर मछली पालन" - 2162.02 लाख रु. के मूल प्रावधान को 78.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2240.02 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 182.84 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) मछुआरों को मछली पकडने संबंधी साज-सामान उपलब्ध न कराए जाने, पूर्ति और निपटान महानिदेशक के एचएसडी तेल संबंधी दावे प्राप्त न होने और प्रशिक्षण के लिए मछली पकड़ने के 55 पोतों के चालू न होने के कारण हुई।

(B) Major Head "2405" – "Marine Fisheries – Deep Sea Fisheries" - the original provision of Rs.2162.02 lakhs was augmented to Rs.2240.02 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.78.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.182.84 lakhs (including supplementary grant) – due to non-supply of fishing gear to fishermen, non-receipt of Director General of Supplies and Disposals claims of HSD oil and non-operation of 55 fishing vessels for training.

(गा) मुख्य शीर्ष "3051" - "लघु पत्तन - निदेशन और प्रशासन - प्रबंधन" - 179.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 189.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, 10.66 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) समयोपरि भत्ता और चिकित्सा दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) Major Head "3051" – "Minor Ports - Direction and Administration – Management" - the original provision of Rs.179.50 lakhs was augmented to Rs.189.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.10.66 lakhs (including supplementary grant) – due to non-receipt of overtime allowance and medical claims.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2408" - "खाद्य - अधिप्राप्ति और पूर्ति - खाद्यान्नों की खरीद" - 595.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 895.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो चावल,

(A) Major Head "2408" – "Food – Procurement and Supply – Purchase of Food Grains" - the original provision of Rs.595.00 lakhs was augmented to Rs.895.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.300.00 lakhs which,

चीनी और मिट्टी के तेल की अधिप्राप्ति समय पर न किए जाने के कारण 194.09 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2210'' - ''ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - निदेशन और प्रशासन - मुख्यालय और अस्पताल'' - 433.30 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 453.30 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण 11.28 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2202'' -

(क) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - सरकारी कालेज और संस्थान - जूनियर कालेज'' - 305.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 123.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 428.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो विद्यार्थियों के लिए वर्दियों की अधिप्राप्ति न किए जाने और कालीकट विश्वविद्यालय केंद्रों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण 113.61 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''सामान्य - ग्राम पंचायत को सहायता - पंचायत'' - 1244.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1444.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण 69.41 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घ) मुख्य शीर्ष ''2059'' - ''सामान्य - रख-रखाव और मरम्मत - गैर रिहायशी भवन'' के अंतर्गत 100.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 75.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 175.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो मुख्य भूमि से भवन निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण 14.94 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2711'' - ''समुद्र अपरदनरोधी परियोजनाएं - अन्य व्यय - समुद्री अपरदन की रोकथाम'' के अंतर्गत 131.32 लाख रु. की बचत (603.00 लाख रु. के

however, remained unutilised to the extent of Rs.194.09 lakhs - due to non-procurement of rice, sugar and kerosene in time.

(B) Major Head "2210" – "Rural Health Services – Allopathy - Direction and Administration – Headquarters and Hospitals" – the original provision of Rs.433.30 lakhs was augmented to Rs.453.30 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.11.28 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(C) Major Head "2202" –

(a) "University and Higher Education – Government Colleges and Institutes – Junior Colleges" - the original provision of Rs.305.00 lakhs was augmented to Rs.428.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.123.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.113.61 lakhs - due to non-procurement of uniforms for students and non-receipt of utilisation certificates from Calicut University Centres.

(b) "General – Assistance to Gram Panchayat – Panchayat" – the original provision of Rs.1244.50 lakhs was augmented to Rs.1444.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.69.41 lakhs – due to non-receipt of utilisation certificates.

(D) Major Head "2059" – "General - Maintenance and Repairs – Non-Residential buildings" - the original provision of Rs.100.00 lakhs was augmented to Rs.175.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.75.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.14.94 lakhs – due to non-availability of building material from mainland.

(IV) Under Major Head "2711" – "Anti-Sea Erosion Projects – Other Expenditure – Prevention of Sea Erosion" – saving of Rs.131.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.603.00

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समुद्री अपरदन निर्माण कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने और चेरियापानी में प्लेटफार्म का निर्माण न किए जाने के कारण हुई।

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत 210.45 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आंशिक रूप से अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2801'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - लक्षद्वीप में विद्युत की आपूर्ति - विद्युत संयंत्र और अनुषंगी निर्माण कार्य'' - 103.52 लाख रु. का अधिक व्यय (991.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 5146.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भंडारों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''माध्यमिक शिक्षा - सरकारी माध्यमिक विद्यालय - माध्यमिक विद्यालय'' - 239.06 लाख रु. का अधिक व्यय (54.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1258.90 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लागत में बढ़ोतरी होने की वजह से स्कूल की वर्दियों, पाठ्य पुस्तकों और सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और आठवीं से नवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दोपहर का भोजन स्कीम शुरू किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3051'' - ''लघु पत्तन - अन्य व्यय - बंदरगाह सुविधाएं'' - 107.58 लाख रु. का अधिक व्यय (913.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालक विहीन बजरा कर्षण द्वारा पोत से समुद्र तट की सुविधाओं में वृद्धि किए जाने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - पर्यटन संगठनों का सुदृढ़ीकरण'' - 201.80 लाख रु. का अधिक व्यय (58.47 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोड की अनुपलब्धता की वजह से अन्य शीर्ष 3452.01.103.30 के सम्पूर्ण व्यय की बुंकिग इस शीर्ष में किए जाने के कारण हुआ।

lakhs) was due to non-finalisation of tenders for sea erosion works and non-construction of platform at Cheriyapani.

(V) Under three heads savings of Rs.210.45 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 21 percent to 79 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2801” – “Diesel/Gas Power Generation - Supply of Electricity in Lakshadweep – Power Plant and Ancillary Works” – excess of Rs.103.52 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5146.00 lakhs including supplementary grant of Rs.991.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for procurement of stores.

(B) Major Head “2202” - “Secondary Education – Government Secondary Schools – Secondary Schools” - excess of Rs.239.06 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1258.90 lakhs including supplementary grant of Rs.54.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for procurement of school uniforms, text books and materials owing to increase in their cost and introduction of mid-day meals to students of VIII to IX.

(C) Major Head “3051” – “Minor Ports – Other Expenditure – Harbour Facilities” - excess of Rs.107.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.913.00 lakhs) was due to additional requirement for augmentation of ship to shore facilities by dumb barge tug.

(D) Major Head “3452” – “General – Other Expenditure – Strengthening of Tourism Organisations” – excess of Rs.201.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.58.47 lakhs) was due to booking of entire expenditure of another head 3452.01.103.30 into this head owing to unavailability of code.

(ङ) मुख्य शीर्ष "2059'' - "सामान्य - उचंत - स्टाक'' - 119.85 लाख रु. का अधिक व्यय (160.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1160.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानसून स्टाक के लिए भवन सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(चा) मुख्य शीर्ष "2205'' - "अन्य व्यय - भवन'' - 137.74 लाख रु. का अधिक व्यय (36.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कावारती में टाउन हाल एवं सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(छा) मुख्य शीर्ष "3053'' - "सामान्य - अन्य व्यय - हेलीकाप्टर सेवाओं के लिए अदायगी'' - 127.21 लाख रु. का अधिक व्यय (1359.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पवन हंस हेलीकाप्टर के प्रति घंटे उडान प्रभारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और एटीएफ आयल की लागत में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 50.62 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(E) Major Head "2059" – "General – Suspense - Stock" - excess of Rs.119.85 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1160.00 lakhs including supplementary grant of Rs.160.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for procurement of building materials for monsoon stock.

(F) Major Head "2205" – "Other Expenditure - Building" - excess of Rs.137.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.36.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for construction of Town hall-cum-Culture Centre at Kavaratti.

(G) Major Head "3053" – "General – Other Expenditure – Payment to Helicopter Services" - excess of Rs.127.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1359.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for hourly flying charges of Pawan Hans Helicopter and increase in cost of ATF oil.

(II) Under one head excess of Rs.50.62 lakhs occurred constituting 43 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
क-गृह मंत्रालय	**A - Ministry of Home Affairs**				
मुख्य शीर्ष "4055''	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	248.00	72.00	204.93	+132.93
पु.	R.	–176.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
द-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	**R - Ministry of Road Transport and Highways**					
मुख्य शीर्ष ''5054'' सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges					
मू.	O.	339.00				
				694.00	695.99	+1.99
पु.	R.	355.00				
ध-जहाजरानी मंत्रालय	**S - Ministry of Shipping**					
मुख्य शीर्ष ''5052'' जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping					
मू.	O.	10664.00				
				10798.00	10798.00	. .
पु.	R.	134.00				
फ - शहरी विकास मंत्रालय	**V–Ministry of Urban Development**					
मुख्य शीर्ष ''4058'' लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4058" Capital Outlay on Stationery and Printing					
मू.	O.	168.00				
				51.59	32.32	–19.27
पु.	R.	–116.41				
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works					
मू.	O.	478.00				
				207.71	225.30	+17.59
पु.	R.	–270.29				
मुख्य शीर्ष ''4210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health					
मू.	O.	280.00				
				67.00	84.12	+17.12
पु.	R.	–213.00				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4215'' जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	358.00	1205.21	1204.48	–0.73
पु.	R.	847.21			
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	434.00	282.00	264.42	–17.58
पु.	R.	–152.00			
मुख्य शीर्ष ''5452'' पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	174.00	21.00	9.24	–11.76
पु.	R.	–153.00			

(I) 266.00 लाख रु. का प्रावधान बीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''4055'' - ''राज्य पुलिस - लक्षद्वीप पुलिस - लक्षद्वीप पुलिस'' के अंतर्गत 228.80 लाख रु. की बचत (237.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्पीड नौका की अधिप्राप्ति न किए जाने और मंत्रालय से वी -एसएटी की अधिप्राप्ति के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''4058'' - ''सरकारी मुद्रणालय - मुख्यालय और स्थापना'' के अंतर्गत 139.29 लाख रु. की बचत (148.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से मशीनरी की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.266.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty heads.

(II) Under Major Head "4055" – "State Police – Lakshadweep Police – Lakshadweep Police" – saving of Rs.228.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.237.00 lakhs) was due to non-procurement of speed boat and non-receipt of approval for procurement of V-SAT from the Ministry.

(III) Under Major Head "4058" – "Government Press – Headquarters and Establishment" – saving of Rs.139.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.148.00 lakhs) was due to non-procurement of machinery owing to non-finalisation of tenders.

(IV) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''सामान्य - निर्माण - भवन'' के अंतर्गत 157.11 लाख रु. की बचत (283.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वीप के सौंदर्यीकरण के लिए कावारती के विकास संबंधी मास्टर प्लान को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "4059" – "General – Construction - Building" – saving of Rs.157.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.283.00 lakhs) was due to non-finalisation of master plan for development of Kavaratti for beautification of Island.

(V) मुख्य शीर्ष ''4210'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - भवन'' के अंतर्गत 195.88 लाख रु. की बचत (280.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)आयुर्वेद और नए होम्यो औषधालय के निर्माण के लिए निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "4210" – "General – Other Expenditure - Building" – saving of Rs.195.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.280.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for construction of Ayurvedic and new homoeo dispensary.

(VI) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - सामान्य पूल आवास - सरकारी क्वार्टरों का निर्माण'' के अंतर्गत 169.58 लाख रु. की बचत (434.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सरकारी कर्मचारियों के लिए भवन के निर्माण संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "4216" – "Government Residential Building – General Pool Accommodation – Construction of Government Quarters" – saving of Rs.169.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.434.00 lakhs) was due to non-finalisation of tenders for construction of building for Government Servants.

(VII) मुख्य शीर्ष ''5452'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - तारण पोतों का अधिग्रहण'' के अंतर्गत 164.76 लाख रु. की बचत (174.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पारगमन नौका और हेलीकाप्टर की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "5452" – "General – Other Expenditure – Acquisition of Ferry Vessels" – saving of Rs.164.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.174.00 lakhs) was due to non-procurement of Transit Boat and Helicopter.

(VIII) चार शीर्षों के अंतर्गत 316.01 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु.से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक थीं।

(VIII) Under four heads savings of Rs.316.01 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 37 percent to 90 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष ''4055'' - ''विशेष पुलिस - भारतीय रिजर्व बटालियन'' के अंतर्गत 185.73 लाख रु. का अधिक व्यय (11.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि अधिग्रहण प्रभारों के संबंध में अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(I) Under Major Head "4055" – "Special Police – India Reserve Battalion" – excess of Rs.185.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11.00 lakhs) was due to payment towards land acquisition charges.

(II) मुख्य शीर्ष ''5054'' - ''जिला और अन्य सड़कें - अन्य व्यय - संपर्क सड़कों का निर्माण'' - 356.99 लाख रु. का अधिक व्यय (339.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की

(II) Major Head "5054" - "District and Other Roads – Other Expenditure – Construction of Link Roads" - excess of Rs.356.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.339.00 lakhs) was due

तुलना में) पूर्वी पोतारोहण घाट के लिए भूमि मुआवजे वाली संपर्क सड़क बनाने और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) मुख्य शीर्ष "5052" - "तटीय जहाजरानी - टनभार का अधिग्रहण और विस्तार - जहाजों का निर्माण" - 134.00 लाख रु. का अधिक व्यय (10664.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जहाज और नौकाओं की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(IV) मुख्य शीर्ष "4215" - "जल पूर्ति - ग्रामीण जल पूर्ति - लक्षद्वीप में पेयजल" - 829.77 लाख रु. का अधिक व्यय (348.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न द्वीपों में कम तापमान वाली ताप विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

to requirement of additional funds for making land compensation link roads to eastern embarkation jetty and widening of existing roads.

(III) Major Head "5052" - "Coastal Shipping - Acquisition and Expansion of Tonnage - Construction of Ships" - excess of Rs.134.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10664.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for procurement of ships and barges.

(IV) Major Head "4215" – "Water Supply – Rural Water Supply – Potable Water in Lakshadweep" – excess of Rs.829.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.348.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for installation of low temperature thermal desalination plant in various islands.